

## सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी

1. अपने संगठन की विशिष्टताएं, कृत्य और कर्तव्य :-	शहरी गरीबों के लिये संचालित हितग्राही मूलक योजनाओं का स्थानीय नगरीय निकायों के माध्यम से संचालन कराना एवं पर्यवेक्षण करना।
2. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य :-	1. परियोजना अधिकारी 2. कनिष्ठ लेखाधिकारी 3. वाहन चालक शासन द्वारा निर्धारित
3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं :-	जिला स्तर पर प्लोक सूचना अधिकारी
4. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान :-	
5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख :-	शासन द्वारा समय समय पर लागू दिशा निर्देश
6. ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण :-	नगरीय क्षेत्रों की हितग्राही मूलक योजनाएं 1. हाथ टेला साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना। 2. पथ पर विक्रय करने वाले शहरी गरीबों की कल्याण योजना 3. शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना। 4. केश शिल्पी कल्याण योजना। ;उपरोक्त सभी नगर पालिका/नगर परिषदों के माध्यम से संचालित
8. ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी :-	
9. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका :-	शासनाधीन
10. अपने प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हैं -	
11. सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये	निकाय नाम                      आवंटित राशि                      विवरण

गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट :-	नगर परिषद कुरवाई 5.00 लाख	पथ पर विक्रय करने वाले शहरी गरीबों को हाकर्स जोन निर्माण हेतु।
12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है :-	कार्यक्रम का नाम लाभांवित संख्या वर्ष -2015-16	
	1. हा0 टेला/सा0रि0 22 2. प. विक्रेता 52 3. के0 शिल्पी 38	समस्त छै: नगरीय निकायों में
13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या अधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां :-	आवेदनकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध जानकारी यथा समय प्रदान की जाती है।	
14. किसी इलेक्ट्रोनिक के रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों :-		
15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है :-		
16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम, और अन्य विशिष्टियां :-	श्री. के. डी. पाण्डेय सहा0 परियोजना अधिकारी एवं प्रभारी परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण विदिशा सहा. लोक सूचना अधिकारी	
17. ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए :-		

परियोजना अधिकारी  
जिला शहरी विकास अभिकरण  
जिला विदिशा